IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 2, December 2022
Impact Factor: 6.252

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारतीय समाज कीमहिलाओं में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता की प्रासंगिकता

पंकज वर्मा[1] एवं डॉ रश्मि सिन्हा निगम[2]

शोध छात्र, शिक्षा प्रशिक्षण, जे. आर. एफ., दयानंद महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, कानपुर[1]

एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, दयानंद महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, कानपुर[2]

प्रस्तावना:

21वीं सदी में नारी कानून की दृष्टि में अब अबला नहीं सबला है। पुरूष जगत का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट हुआ है कि नारी भी मानव जीवन का उतना ही आवश्यक एवं महत्वपूर्ण अंग है जितना कि पुरुष। वह पुरुष की वासना-तृप्ति का एक साधन मात्र नहीं है बल्कि वह जननी, सहचारी एवं मार्गदर्शिका भी है। महिलाएं पुरुषों से किसी भी तरह से कमजोर नहीं है परंतु इसका एक दूसरा पहलू भी है गत वर्षों में महिलाओं के अधिकारों का जितना उल्लंघन हुआ है शायद पहले कभी नहीं हुआ। समाज व राज्य के विभिन्न गतिविधियों में पर्याप्त सहभागिता के बावजूद महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार जैसे घरेलू हिंसा, कार्यस्थलों, सड़कों, सार्वजनिक यातायात एवं अन्य स्थानों पर होने वाली हिंसा में वृद्धि हुई है, इसमें शारीरिक मानसिक एवं यौन शोषण भी शामिल है। दैनिक समाचार पत्रों में दिन-ब-दिन अपराध की घटनाएं छपी होती है जो महिलाओं से संबंधित होती है जैसे बलात्कार, दहेज के लिए बहू को जलाना, प्रताड़ित करना तथा बालिका का भ्रूण हत्या, अपहरण, अगवा करना इत्यादि। यह सच है कि आज महिलाओं ने अपने आप को मुख्यधारा में शामिल कर लिया है परंतु उनके इस विकास में उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ मीडिया और भारतीय फिल्मों का भी अत्यंत योगदान है जो मानसिक तौर पर नारी को निरंतर मानवाधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए उन्हें विकास की ओर गतिशील किया है। यह एक प्रमाणित तथ्य है कि दुनिया में सबसे अधिक अपराध और अत्याचार महिलाओं के खिलाफ ही होते रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में महिलाएं और मानवाधिकार दोनों काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। विश्व के लगभग सभी देशों में महिलाओं के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं, ताकि वह सम्मानपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। महिला आंदोलन के इस दौर में एक ओर महिलाओं को अधिकाधिक अधिकार दिए जाने की कवायद चल रही है वहीं दूसरी ओर महिलाओं के बीच भी अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूकता बढ़ी है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ की "मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा-पत्र" में भी महिलाओं को बिना भेदभाव के अधिकारों की प्राप्ति का अधिकारी माना गया है।

शोध की आवश्यकता एवं महत्व:

विश्व की आबादी का आधा हिस्सा महिलाओं का है। इसके बावजूद महिलाओं के मानवाधिकारों का हनन और लिंग आधारित हिंसा व्यापक पैमाने पर जारी है। भारत में किए गए कई सर्वेक्षण रिपोर्ट यह बताते हैं कि महिला यौन शोषण, अपहरण और बलात्कार का शिकार हो रही हैं। संयुक्त राष्ट्रसंघ की रिपोर्ट के अनुसार प्रति 8 सेकेंड में एक महिला का यौन शोषण तथा प्रति 6 मिनट में एक महिला का बलात्कार होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 दिसम्बर, 1979 को महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार का भेदभाव समाप्त करने के समझौते को स्वीकार किया और यह 3 सितंबर, 1981 से लागू किया गया। महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव का

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 2, December 2022
Impact Factor: 6.252

अर्थ है, लिंग के आधार पर भेदभाव। हालांकि लिंग आधारित भेदभाव के पीछे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक स्वार्थ बताए जाते हैं। कानूनन स्त्री-पुरूष को समान अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन समानता के आधार पर प्राप्त अधिकारों को निष्प्रभावी बनाया जाता है। महिलाओं को उनके मानवाधिकारों से वंचित किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त उनके मौलिक स्वतंत्रताओं को उपयोग नहीं करने दिया जाता है। लिंग के आधार पर भेदभाव का महत्वपूर्ण कारण पुरूष और महिला की भूमिकाओं में निरंकुश तरीके से विभाजन किया गया है। लिंग भेद तथा शोषण की प्रवृत्ति अपने चरम रूप में उस समय प्रकट होती है, जब नारी को धन या सम्पत्ति के रूप में भोग-विलास और उत्पादन के साधन के रूप में देखा जाता है। सबसे दुखद स्थिति यह है कि स्वयं महिलाओं ने भी लिंग संबंधी भेदभावों को परम्परा के आधार पर जीवन के एक अपरिहार्य तथ्य के रूप में स्वीकार किया है। अतः 21वीं शताब्दी की यह महत्ती आवश्यकता है कि महिलाओं को महत्वपूर्ण मानकर उसके अस्तित्व को स्वीकार किया जाना चाहिए ताकि वे अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें। यदि महिलाओं को श्रेष्ठतम अवसर प्रदान होता है तो निश्चय ही वे अपना प्रदर्शन मानव जाति के हित में कर सकती है।

शोध के उद्देश्य:

- जन सामान्य को महिलाओं की वर्तमान स्थिति से परिचित कराना ।
- महिलाओं के मानवाधिकारों, नियमों, अधिनियमों के विषय में जानकारी प्रदान करना।
- महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना।

शोध प्रविधि:

प्रस्तुत शोध पत्र हेतु द्वितीयक तथ्यों का उपयोग किया गया है। द्वितीयक तथ्यों के संकलन हेतु पुस्तकों, शोध-पत्रिकाओं, संपादित ग्रंथों एवं इंटरनेट का प्रयोग किया गया है। शोध की पद्धति मूलतः वर्णनात्मक है जिसमें सहायक पद्धतियों के रूप में ऐतिहासिक पद्धति, सामग्री विश्लेषण, पुस्तकालयी अध्ययन पद्धति इत्यादि का उपयोग किया गया है।

मानवाधिकार का अर्थ:

मानवाधिकार ऐसे अधिकार हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव प्राणी होने के नाते प्राप्त होते हैं, भले ही उसकी राष्ट्रीयता, लिंग, वर्ग, जाति, व्यवसाय और सामाजिक व आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2(घ) में मानवाधिकार की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार, मानवाधिकार से अभिप्राय व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं गरिमा से संबंधित उन अधिकारों से है, जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत हैं या अंतरराष्ट्रीय करारों में सम्मिलित हैं और भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हैं। मानव अधिकारों एवं मानव गरिमा की धारणा के मध्य घनिष्ठ संबंध हैं, अर्थात वह अधिकार जो मानव गरिमा को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं, उसे 'मानवाधिकार' कहा जाता है। मानव अधिकारों का संबंध मानव की स्वतंत्रता, समानता एवं गरिमा के साथ जीने के लिए स्थितियां उत्पन्न करने से होता है। मानवाधिकार ही समाज में ऐसा वातावरण उत्पन्न करते हैं, जिसमें सभी व्यक्ति समानता के साथ,निर्भीक रूप से और मानव

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 2, December 2022
Impact Factor: 6.252

गरिमा के साथ जीवन व्यतीत कर पाते हैं। हेरॉल्डलास्की के अनुसार "अधिकार सामाजिक जीवन की परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता।"

मानव अधिकार के मूल तत्व:

- प्रत्येक मानव प्राणी इन अधिकारों का हकदार है, क्योंकि ये वे अधिकार हैं, जो उसे मानव होने के नाते जन्म लेने के आधार पर मिले हुए हैं। ये अधिकार मनुष्य की प्रकृति में निहित हैं और किसी रीति-रिवाज, परंपरा, कानून, राज्य, शासक, संसद् या अन्य किसी संस्था की देन नहीं हैं।
- मानव के व्यक्तित्व का विकास इन मानवाधिकारों से जुड़ा हुआ है। इनके अभाव में कोई मानव अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता।
- मानवाधिकार प्रत्येक मानव को बिना किसी भेदभाव के प्राप्त होते हैं, चाहे वह किसी भी जाति, लिंग, रंग, धर्म व भाषा से संबंध रखता हो।
- प्रत्येक मानव के साथ उसकी गरिमा जुड़ी हुई है। चाहे वह महिला हो या बालक हो, चाहे युद्ध बंदी हो या अभियुक्त हो, चाहे दलित हो या ब्राह्मण हो, हर मानव की गरिमा की रक्षा आवश्यक है।

भारत में मानवाधिकार:

भारत में 19वीं सदी में बदलाव आना प्रारंभ हुआ जब नवजागरण काल में भारतीय फलक पर अनेक सुधारवादी व्यक्तित्व सक्रिय हुए। बंगाल में राजा राममोहन राय ने जहां सती प्रथा के खिलाफ मुहिम चलाई वहीं ईश्वर चंद्र विद्यासागर और गुजरात में दयानंद सरस्वती ने महिला शिक्षा और विधवा विवाह जैसे मुद्दों को लेकर काम किया। महाराष्ट्र में सन 1948 में सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों हेतु प्रथम स्कूल पुणे में खोला। नारी उत्कर्ष की दिशा में यह एक विशिष्ट प्रयास था फलत: समूचे भारत की महिलाओं में एक नई चेतना जागृत होने लगी। बीसवीं सदी में इस प्रक्रिया को ठोस धरातल और शक्ति भारत में आजादी के बाद मिली। भारत के संविधान ने महिलाओं को समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई माना और इन्हें नागरिकता, वयस्क मताधिकार और मूल अधिकारों के आधार पर पुरुषों के बराबर दर्जा तथा समान अधिकार प्रदान किए, किंतु वास्तविक शक्ति महिलाओं से अब भी दूर थी और है। 12 अक्टूबर 1993 में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। इसके अलावा राज्यों में भी मानवाधिकार आयोग के गठन का प्रावधान किया गया।

भारत में महिलामानवाधिकारों की सोचनीय स्थिति:

- **जन्म से पूर्व :-** जबरदस्ती गर्भधारण, गर्भपात, गर्भावस्था के दौरान मारपीट, मानसिक उत्पीड़न, कन्या भ्रूण हत्या आदि।
- **शैशवावस्था के दौरान :-** शिशु कन्या हत्या, माता-पिता द्वारा खान-पान में भेदभाव, मारपीट, व्यक्तित्व विकास की ओर ध्यान ना देना आदि।
- **किशोरावस्था के दौरान :-** शीघ्र विवाह, परिवार व अपरिचितों द्वारा यौन शोषण, बाल वेश्यावृत्ति, मूलभूत सुविधाओं का अभाव, शारीरिक एवं मानसिक हिंसा आदि।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 2, December 2022
Impact Factor: 6.252

- **युवावस्था के दौरान :-** कार्यस्थलों पर शोषण, यौन उत्पीड़न, अवैध व्यापार, बलात्कार, अपहरण, छेड़छाड़, इत्यादि।
- **नारीत्व के दौरान :-** विवाह हेतु दहेज की मांग, विवाह के बाद दहेज के लिए मारपीट व हत्या या आत्महत्या हेतु मजबूर करना, मानसिक एवं शारीरिक शोषण, घरेलू हिंसा आदि।

भारतीय संविधान, कानून और महिलाएं:

भारतीय संविधान के प्रावधानों ने अमानवीय स्थितियों को समाप्त कर सुव्यवस्थित एवं सामाजिक सुरक्षा कायम करने का प्रयास किया। संविधान में मानव अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार है:

1. अनुच्छेद 14 के अंतर्गत पुरुष और महिलाओं को आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक रूप से समान अधिकार प्राप्त हैं।
2. अनुच्छेद 15 के अंतर्गत राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है कि वह महिलाओं पर अत्याचार ना होने दें।
3. अनुच्छेद 16 के अंतर्गत पुरुषों एवं महिलाओं को बिना भेदभाव के सार्वजनिक नियुक्तियों तथा रोजगार के संबंध में समान अवसर का अधिकार है।
4. अनुच्छेद 23 के अनुसार नारी के देह व्यापार से उसकी रक्षा की जाये। इस दृष्टि से संप्रेशन ऑफ इम्मोरलट्रेफिक इन वुमन एंड गर्लएक्ट 1956 पारित किया गया।
5. अनुच्छेद 39 में पुरुष और स्त्री को समान रूप से जिविका के पर्याप्त साधन प्राप्त कराने का अधिकार है।
6. अनुच्छेद 42 में प्रसूति सहायता का उपबंध है।
7. अनुच्छेद 51 के अंतर्गत उन सभी बातों का परित्याग करना जो नारी सम्मान के विरुद्ध है।
8. अनुच्छेद 243 डी में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के एक तिहाई स्थान आरक्षण का प्रावधान एवं संविधान की धारा 243 डी में संशोधन के बाद पंचायतों में महिलाओं के लिए 33% के बजाय 50 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

महिलाओं के लिए नियम व अधिनियम:

महिलाओं के मानवाधिकारों के हनन को ध्यान में रखते हुए महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के प्रयास काफी तेज हो गए हैं। 8 मार्च को पूरे विश्व में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रुप में मनाया जाता है। भारत में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव को रोकने तथा उन्हें सशक्त करने के लिए कदम उठाए गए हैं ताकि महिलाएं अपने मानवाधिकारों का उपयोग कर सकें। 1994 में कन्या भ्रूण हत्या को कानून बना कर प्रतिबंधित किया गया है। बालिका शिक्षा के लिए विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं। महिला साक्षरता दर में काफी वृद्धि हुई है। कार्यस्थल पर महिलाएं स्वतंत्र और सुरक्षित वातावरण प्राप्त कर सकें, इसके लिए कार्यस्थल पर यौन शोषण रोकने संबंधी कानून बनाए गए हैं। बेटियों को संपत्ति का अधिकार दिया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में महिला आरक्षण का प्रावधान किया गया है। महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं कार्य कर रही हैं,

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 2, December 2022
Impact Factor: 6.252

जैसे- बेटी बचाओ,बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम, किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वाधार घर योजना, महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम इत्यादि। भारतीय संविधान एवं विभिन्न दंड संहिता में भी कई ऐसे नियम विनिमय एवं अधिनियम आदि बनाए गए हैं जिसकी सहायता से महिलाओं के हितों की रक्षा की जा सकती है। इसके अलावा अंग्रेजों के शासनकाल में भी कुछ महिलाओं से संबंधित अधिनियम बनाए गए जिसकी वजह से महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार देखने को मिले हैं। जैसे- सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह, सिविल मैरिज अधिनियम, बाल विवाह अवरोधक अधिनियम आदि। महिलाओं से संबंधित कुछ प्रमुख अधिनियम निम्नलिखित हैं-

1. **भारतीय दंड संहिता, 1860 :-** इसमें महिलाओं पर होने वाले अत्याचार एवं निर्दयता के विरुद्ध सजा देने की व्यापक रूप से व्यवस्था की गई थी।
2. **बाल विवाह अवरोधक अधिनियम, 1929 :-** इस अधिनियम में शादी की आयु का निर्धारण एवं नियम का उल्लंघन करने पर सजा, जुर्माना का प्रावधान किया गया है।
3. **मुस्लिम विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1939 :-** इस अधिनियम से पूर्व मुस्लिम महिलाओं की स्थिति अति दयनीय थी लेकिन इस अधिनियम के बनने के बाद पत्नी को तलाक देने के अधिकार प्रदान कराए गए।
4. **चलचित्र अधिनियम, 1952 :-** फिल्मों का समाज पर गहरा असर पड़ता है इसलिए सेंसर बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वह ऐसी फिल्मों पर रोक लगाएगा जिसमें महिलाओं को अश्लील रुप में दिखाया गया हो तथा महिलाओं की मर्यादा भंग हो।
5. **विशेष विवाह अधिनियम, 1954 :-** इस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को वैवाहिक स्वतंत्रता के साथ-साथ धार्मिक स्वतंत्रता भी प्रदान की गई है। इस अधिनियम के माध्यम से कोई भी महिला अपना धर्म परिवर्तन किए बगैर किसी अन्य धर्म को मानने वाले व्यक्ति से विवाह कर सकती है।
6. **हिंदू विवाह अधिनियम 1955 :-** इस अधिनियम में पति-पत्नी का वैवाहिक जीवन जैसे – शादी, तलाक एवं सजा आदि के बारे में विस्तार से विवेचन किया गया है।
7. **हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 :-** यह अधिनियम निर्देशित करता है कि आज एक लड़की को भी अपने माता-पिता की संपत्ति में लड़के की भांति अधिकार प्राप्त है।
8. **हिंदू अवयस्कता एवं संरक्षण अधिनियम 1956 :-** पति पत्नी के बीच विवाह विच्छेद की स्थिति में अथवा अन्य परिस्थिति के कारण अगर पति-पत्नी अलग रहते हैं तो बच्चे का हित अगर मां के पास रहने में हो, तो बच्चा मां को दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में बच्चा चाहे पिता के साथ ना रहता हो तो भी पिता को उसका खर्चा-पानी देना होगा।
9. **दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 :-**सन् 1961 में तात्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दहेज को एक समस्या एवं मानव मात्र पर एक कलंक एवं कुप्रथा मानते हुए इस कानून को पारित करवाया था। इसके माध्यम से दहेज जैसी गंभीर समस्या पर अंकुश लगाने की कोशिश की गई।
10. **प्रसूति सुविधाएं (प्रसूति सुविधाएं अधिनियम, 1961) :-** इस अधिनियम के अंतर्गत गर्भावस्था के दौरान बच्चा पैदा होने के बाद, मातृत्व की शुरुआत के महीनों में सुविधा दी जाती है। प्रसूति से पहले पूरे वेतन पर 6 हफ्ते की छुट्टी। प्रसूति के बाद पूरे वेतन पर 6 हफ्ते की छुट्टी। किसी स्त्री को प्रसूति के

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 2, December 2022
Impact Factor: 6.252

6 हफ्ते पहले काम पर नहीं रखा जा सकता, स्त्री से प्रसूति के 6 हफ्ते बाद तक काम लेना कानूनी अपराध है।

11. **गर्भावस्था समापन चिकित्सा अधिनियम, 1971 :-** इस अधिनियम के अनुसार गर्भपात करना एवं करवाना दोनों ही अवैध है।
12. **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1972 :-** साक्ष्य का असाधारण अधिनियम यह है कि सबूत का भार उस व्यक्ति पर होगा जिसके द्वारा आक्षेप लगाया गया हो और ऐसी ही स्थिति में महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के मामले में भी थी।
13. **दंड प्रक्रिया 1973 :-** इस प्रक्रिया में किसी भी महिला की तलाशी या अन्य संबंधित जांच के लिए महिला या महिला पुलिस के माध्यम से करना अनिवार्य होगा।
14. **कारखाना अधिनियम, 1948, संशोधन- 1976 :-** इस अधिनियम में कहा गया है कि यदि किसी कारखाने या उद्योग-धंधे में महिलाओं की संख्या 30 से अधिक होगी तो प्रबंधक को वहां एक शिशु-गृह की व्यवस्था करनी होगी ताकि काम के घंटों के दौरान महिलाएं अपने बच्चों को इस गृह में छोड़ सकें।
15. **अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956, संशोधित 1978 व 1986 :-** इस अधिनियम के अनुसार महिलाओं के प्रति यौन शोषण करने को संज्ञेय अपराध माना गया है।
16. **"संप्रेशन ऑफ इम्मोरल ट्रैफिक इन वूमन एंड गर्लएक्ट" 1950 संशोधित 1978 व द इम्मोरल ट्रैफिक प्रीवेंशनएक्ट 1986 :-** अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 से मिलता जुलता है।
17. **स्त्री अशिष्ट प्रतिबंध अधिनियम, 1986 :-** इस अधिनियम के माध्यम से स्त्री के शरीर के अश्लील चित्रण पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसमें कहा गया है कि किसी भी महिला को इस प्रकार चित्रित नहीं किया जा सकता है जिससे उसकी सार्वजनिक नैतिकता को आघात पहुंचे या उसका मान घंटे। इससे संबंधित छेड़खानी निरोधक कानून 1978, सिनेमेटोग्राफी अधिनियम 1952, इंसिडेंटरिप्रेजेंटेशन ऑफ वूमेनप्रोहीबिशनएक्ट 1986 आदि हैं।
18. **सती निवारक अधिनियम 1987 :-** अधिनियम द्वारा सती प्रथा एवं उसको महिमामंडित करने से रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए।
19. **घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 :-** इस प्रावधान के अनुसार दोषी व्यक्तियों को तक तत्संबंधित विधि में सजा मिल सके एवं इसके अलावा पीड़ित महिलाओं को चिकित्सीय सुविधा और बच्चों के बारे में संरक्षण की सहायता मिल सके। अगर हिंसा की घटना हो चुकी है तो उसके लिए आर्थिक मुआवजा देने का भी प्रावधान है।

भारतीय संविधान के तहत महिलाओं को ऐसे अधिकार एवं विशेष रियायतें दी गई है कि महिला अपने मातृत्व की जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सके। महिलाओं के शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक शोषण से बचाने और उनके हितों के लिए और भी कानून हैं जो इस प्रकार हैं- समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, अभद्र निरूपण निषेध अधिनियम 1986, ठेकेदारी श्रम नियम एवं उन्मूलन अधिनियम, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990, कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1985 आदि।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 2, December 2022
Impact Factor: 6.252

निष्कर्ष:

समाज में महिलाओं का स्थान पुरुषों के समान ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज महिला सशक्त नारी के रूप में सुदृढ़ होकर पुरुष से कदम से कदम मिलाने को प्रयासरत है और उपयुक्त अध्ययन से तो यही निष्कर्ष निकलता है कि जैसे-जैसे महिलाओं की मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है और साथ में शिक्षित हुई हैं वैसे- वैसे वह सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्रों में भी सुदृढ़ हुई हैं तथा आत्मनिर्भर बनी हैं। महिला और पुरुष दोनों रथ के सहयोग के समान हैं यदि एक निर्बल और घटिया हुआ तो समाज का रथ निर्विघ्न आगे नहीं बढ़ सकता। स्पष्ट है कि जागरूक नारी ही अपना एवं समाज का विकास कर सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:

[1]. सिंह, अरूण कुमार (2014) मनोविज्ञान समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियां, दिल्ली, मोतीलालबनारसीदास।
[2]. भटनागर, ए०बी०(2011) "शैक्षिक अनुसंधान की कार्यप्रणाली" आर० लाल बुक डिपो, मेरठ।
[3]. गुप्ता, एस०पी०(2011) अनुसंधान संदर्शिका, इलाहाबाद, शारदा पुस्तक भवन।
[4]. कानिटकर, मुकुल, "भारत में महिला शिक्षा, समाज व सरकार की भूमिका" योजना, सितंबर 2016
[5]. डॉ. वीरेंद्र सिंह यादव : नई सहस्त्राब्दी का महिला सशक्तिकरण- अवधारणा, चिंतन एवं सरोकार भाग 1 एवं 2, ओमेगापब्लिकेशन, दिल्ली 2010
[6]. शर्मा, रमा व मिश्रा, एम०के०(2010) : भारतीय समाज में नारी- अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली।
[7]. डॉ. मंजूलताछिल्लर : भारतीय नारी शोषण के बदलते आयाम- अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली 2010
[8]. www.eric.com
[9]. www.ugc.nic.in
[10]. www.ncert.org
[11]. www.yojana.gov.in
[12]. www.mha.gov.in
[13]. www.humanrightss.org.in

BIOGRAPHY

Pankaj Verma, M.Ed., M.A. (Sociology, History, Economics, Education) is a Research Scholar Fellow (UGC) in Education. I am started career as an Assistant Professor at Shree Krishna Educational Institutions, Sitapur, U.P. (INDIA) since 2016 to 2019.Then, Join Ph.D. Regular course in C.S.J.M. University, Kanpur (U.P.) I have presented 5 Research Papers in National Seminar and 2 Research Papers published in Peer-Reviewed Journal.